राजस्थान हाउसिंग बोर्ड : आवासीय आरक्षित दर से डेढ़ गुना दर पर आवंटित होगी स्ट्रिप ऑफ लैंड

इंफ्रा रिपोर्टर. जयपुर हाउसिंग बोर्ड ने 14 शहरों में लांच की जाने वाली 21 आवासीय योजनाओं, प्रतापनगर में पहले कोचिंग हब, स्ट्रिप ऑफ लैंड के आवंटन की दरों के निर्धारण, प्रवर्तन शाखा गठित करने और मानसरोवर में 70 करोड़ की लागत से सिटी पार्क पर निर्णय किया है। आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया बोर्ड मुख्यालय में अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में संचालक मंडल की 242 वीं आयोजित बैठक में कई और महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर भी बड़े निर्णय किए गए हैं।

प्रदेश के 14 शहरों में लांच होगी 21 आवासीय योजनाएं, बनेंगे 12351 आवास

प्रताप नगर में 68 हजार वर्गमीटर में बनेगा प्रदेश का पहला कोचिंग हब

कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कोचिंग हब में 70 हजार विद्यार्थियों की क्षमता होगी। एरिया 68 हजार वर्गमीटर होगा। 40 प्रतिशत क्षेत्र में निर्माण कार्य एवं 60 प्रतिशत क्षेत्र खुला रहेगा। 231 करोड़ की लागत आएगी, बोर्ड को 416 करोड़ का राजस्व मिलेगा। एमएनआईटी ने प्रोजेक्ट को वायबल एवं उपयोगी माना है। कोचिंग हब में 8 सांस्थानिक टावर बनेंगे। प्रत्येक टावर 7 मंजिल का होगा, जिसमें कुल 1 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल निर्मित किया जाएगा। भूतल में पार्किंग विकसित की जाएगी। कोचिंग हब में 50 हजार वर्गफीट क्षेत्र में 7 मंजिला लाइब्रेरी, 800 व्यक्तियों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम, 1100-1100 वर्गमीटर के हॉस्टल व पीजी के लिए 4 भूखंड विकसित किए गए हैं। हब का निर्माण जुलाई, 2020 में प्रारंभ होगा, जो कि दिसम्बर 2023 में पूर्ण हो जाएगा। इसका पहला फेज सितम्बर, 2022 में पूरा हो जाएगा। यहां दो फूड कोर्ट, चिकित्सालय, पार्किंग, जॉगिंग ट्रैक, बास्केटबॉल/टेनिस कॉल कोर्ट, ओपन जिम, सीसीटीवी, कैमरे, सोलर एनर्जी सिस्टम, प्रत्येक ब्लॉक में सेमेटाइजर स्टेशन विकसित की जाएंगी।

पहले स्ट्रिप ऑफ लैंड सिर्फ वृक्षारोपण के लिए होती थी

अरोड़ा ने बताया विभिन्न आवासीय योजनाओं में बनी हुई स्ट्रिप ऑफ लैंड को आवासीय आरक्षित दर की डेढ़गुना राशि पर आवंटित किया जाएगा। पहले आवासीय आरक्षित दर के दोगुना पर आवंटन किया जाता था। इसके साथ ही अब लीज केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही वसूली जाएगी। पहले यह आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी पर वसूली जाती थी। स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ने के बाद भूखंड का जो आकार हो जाएगा, उस पर बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार भूखंड मालिक निर्माण कर सकेगा। पूर्व में स्ट्रिप ऑफ लैंड पर केवल वृक्षारोपण की ही अनुमति थी। यह नए नियम दिसम्बर, 2020 तक ही लागू होंगे। स्ट्रिप ऑफ लैंड के आवंटन का विशेष अभियान चलाए जाएगा।

अब 180 दिन में चुका सकेंगे नीलामी राशि

नीलामी या सांस्थानिक भूखंडों के आवंटनों के मामलों में राशि चुकाने संबंधी नियमों में संशोधन किया है। पूर्व में नीलामी या सांस्थानिक भूखंडों के आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिन में राशि चुकानी होती थी। अब 10 प्रतिशत राशि नीलामी के समय, 40 प्रतिशत राशि 60 दिन में और शेष 50 प्रतिशत राशि 180 दिन में चुकाई जा सकेगी।

14 शहरों में लॉच होगी 21 आवासीय योजनाएं

उन्होंने बताया कि पूर्व में मंडल द्वारा 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं बनानी थीं, अब 14 शहरों में 21 आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी। इन योजनाओं में 12351 आवास बनेंगे। इसके साथ ही जयपुर स्थित 5 योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 2652 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा।

आवासन मंडल में बनेगी प्रवर्तन शाखा

खोई परिसर एवं सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने, अभिग्रहण, कुर्की और अवैध कब्जिद व्यक्तियों पर कार्रवाही करने के लिए प्रवर्तन शाखा गठित की गई एक डीएसपी, एक निरीक्षक/उप निरीक्षक एवं चार कांस्टेबल नियुक्त होंगे, एक महिला होगी। चुत कार्यालयों पर निरीक्षक/उपनिरीक्षक चार कांस्टेबल होंगे।

21 हजार पौधे लगाए जाएंगे

मानसरोवर में सिटी पार्क पर 70 करोड़ खर्च होंगे। पार्क 18 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 फीसदी ग्रीन एरिया के साथ विकसित किया जाएगा, यह पार्क सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा। मध्यम मार्ग और न्यू सांगानेर रोड़ पर एंट्रिस प्लाजा बनाया जाएगा।

30 सितम्बर तक ब्याज नहीं

कोविड को दृष्टिगत रखते हुए मासिक किस्तों, आवंटन, नीलामी के सभी प्रकरणों में, जिनमें भुगतान की अवधि 15 मार्च या इसके बाद की थी, उसे बिना ब्याज 30 सितम्बर कर दिया गया है।